



मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारण्टी परिषद

(मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
59, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्रमांक ३७०२/एनआर-३/आई.एम.पी.सेल/मनरेगा/२०१२
//आदेश//

भोपाल, दि. ०९/०६/२०१२

प्रति,

- कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
- मुख्यकार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक,
जिला— विदिशा, धार, रीवा, छतरपुर, डिंडौरी, अनूपपुर, खंडवा, गुना, रतलाम, सिवनी, मण्डला, भिण्ड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया एवं बैतूल (म.प्र.)

विषयः— महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम—मध्यप्रदेश अंतर्गत समेकित माइक्रोप्रोजेक्ट क्रियान्वयन हेतु अशासकीय संस्थाओं को जिला आवंटन/संशोधन/निरस्त किये जाने बाबत।
संदर्भः— प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का आदेश क्र. 4415 दि. 30.04.2010
एवं परिषद के आदेश क्र. 6759 दिनांक 27/06/2011 एवं क्र. 145 दि. 05.01.12

—०—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रानुसार जारी आदेश क्र. 04 के अनुक्रम में राज्य स्तर से चयनित पार्टनर एनजीओं की सूची में सम्मिलित निम्न अशासकीय संस्थाओं को समेकित माइक्रोप्रोजेक्ट में क्रियान्वयन हेतु पूर्व आवंटित जिलों के अतिरिक्त निम्नानुसार नवीन जिला आवंटन/संशोधन/निरस्त किये जाते हैं:

क्र.	अशासकीय संस्था का नाम	पूर्व में आवंटित जिले	आवंटित नवीन/परिवर्तित जिले	निरस्त किये गये जिले
1	रुरल एन्वायरमेंट डेवलपमेंट सोसायटी, सागर	सागर एवं विदिशा	—	विदिशा
2	महात्मा गांधी प्रतिष्ठान, भोपाल	रीवा एवं छतरपुर	धार	रीवा
3	वैशाली स्वयंसेवी संस्था, जबलपुर	डिंडौरी एवं अनूपपुर	छतरपुर	डिंडौरी एवं अनूपपुर
4	नागरथ चेरिटेबल ट्रस्ट, इंदौर	इंदौर एवं खंडवा	—	खंडवा
5	ईकोसेक सोसायटी फॉर इन्वायरमेंट कन्जरवेशन एंड सोशल अवेयरनेस, भोपाल	रीवा एवं गुना	—	गुना
6	पर्यावरण विकास एवं जनहित संस्थान, सागर	सागर	रीवा	—
7	इन्स्टीट्यूट फॉर रिसोर्स स कन्जरवेशन (इरकॉन), धार	—	धार एवं रतलाम	—
8	प्राजीव, सागर	—	सिवनी एवं विदिशा	—
9	ग्रामोद्योग संस्थान, मण्डला	—	मण्डला एवं बैतूल	—
10	उम्मीद समिति	भिण्ड एवं मुरैना	—	भिण्ड एवं मुरैना
11	बायफ डेवलपमेंट रिसर्च फाउण्डेशन, भोपाल	ग्वालियर, दतिया, विदिशा एवं हरदा	—	ग्वालियर एवं दतिया

समेकित माइक्रोप्रोजेक्ट क्रियान्वयन हेतु जारी आदेश क्र. 4 अनुसार आवंटित नवीन जिलों में अशासकीय संस्थाओं से अनुबंध तथा अद्यतन जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही की जाकर अवगत करावें।

(नीरज मण्डला)

आयुक्त

म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद्,
निरंतर

पृ.क्रमांक 3703 / एनआर-3 / आई.एम.पी.सेल / मनरेगा / 2012 भोपाल, दि. ०९/०३/ 2012

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संभाग समस्त (म.प्र.)
2. संबंधित अशासकीय संस्था

..... की ओर
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



आयुक्त

म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद्,
भोपाल